



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082021-229257  
CG-DL-E-26082021-229257

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 2021/भाद्र 4, 1943

No. 237]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 2021/BHADRA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

स्थल बहाली और अपतट तथा अभितट तेल और गैस उत्पादन स्थलों के परित्याग के संबंध में दिशा-निर्देशों की अधिसूचना में संशोधन।

सं. अन्वेषण-15019(25)/68/2017-ओएनजी-V (ई-4353).—भारत सरकार स्थल बहाली और अपतट तथा अभितट तेल और गैस उत्पादन स्थलों के परित्याग के संबंध में दिशा-निर्देशों से संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की दिनांक 01 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या. ओ-32011/75/2013-ओएनजी-I में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:

1. उक्त अधिसूचना में स्थल बहाली निधि से संबंधित पैराग्राफ 6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

6. स्थल पुनर्स्थापना निधि ("एसआरएफ") जहां लागू हो, संबंधित उत्पादन भागीदारी (पीएससी) संविदा (पीएससी) प्रावधानों और वर्ष 1999 की स्थल पुनर्स्थापना निधि योजना (एसआरएफएस) द्वारा शासित होती हैं। स्थल पुनर्स्थापना निधि योजना के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाए गए हैं:

6.1 संविदाकार प्रथम वाणिज्यिक तेल/गैस उत्पादन के तुरंत बाद एसआरएफ खाता खोलेगा।

6.2 नए क्षेत्रों के मामले में, संविदाकार, वैकल्पिक रूप से, प्रथम वाणिज्यिक तेल/गैस उत्पादन के 3 वर्षों तक की प्रारंभिक अवधि के लिए बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत कर सकते हैं।

6.3 वाणिज्यिक उत्पादन वाले ऐसे मौजूदा क्षेत्रों के मामले में जहां एसआरएफ अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं, नीतिगत दिशानिर्देशों की अधिसूचना के 6 माह के अंदर संविदाकार, वैकल्पिक रूप से, 3 वर्षों तक की अवधि के लिए एक बैंक गारंटी जमा कर सकता है। उत्पादन भागीदारी संविदा के बाद के वर्षों के लिए संविदाकार एसआरएफ खाता खोलेगा।

6.4 नए क्षेत्रों के साथ-साथ वाणिज्यिक उत्पादन करने वाले मौजूदा क्षेत्रों के मामले में चौथे वर्ष में संविदाकार या प्रचालक वैकल्पिक रूप से एसआरएफ खाते में जमा करने के लिए अपेक्षित संचयी राशि के 75% तक मूल्य के लिए बैंक गारंटी जमा कर सकते हैं और शेष बकाया एसआरएफ खाते में जमा किया जाएगा। पांचवें वर्ष में, संविदाकार या प्रचालक वैकल्पिक रूप से एसआरएफ खाते में जमा करने के लिए अपेक्षित संचयी राशि के 50% तक मूल्य के लिए बैंक गारंटी जमा कर सकते हैं और शेष बकाया एसआरएफ खाते में जमा किया जाएगा। इसके बाद, संविदाकार या प्रचालक इस तरह से निधियां जमा करवाता रहेगा और बनाए रखेगा कि संबंधित वर्ष में एसआरएफ खाते में जमा करने के लिए अपेक्षित संचयी राशि की 50% से अधिक राशि बैंक गारंटी के रूप में बनाए रखी जाए।

6.5 स्थल पुनर्स्थापन निधि (एसआरएफ) या बैंक गारंटी (बीजी) की राशि संविदाकार द्वारा यथा प्रस्तावित और प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित डीकमिशनिंग आकलनों के अनुरूप होगी।

6.6 एसआरएफ खाते या बैंक गारंटी राशि के निधियन की संगणना इकाई उत्पादन पद्धति अर्थात् उस क्षेत्र के भंडार और उत्पादन के अनुपात का उपयोग करते हुए की जाएगी।

6.7 अलग-अलग परिसंपत्तियों के भिन्न-भिन्न परिचालन जीवनकाल और संसाधन लागतों में परिवर्तनों के कारण, प्रत्येक 3 वर्ष पर, डीकमिशनिंग और स्थल पुनर्स्थापन लागत का मूल्यांकन और अधतन किया जाए। संविदाकार द्वारा एक अर्हता प्राप्त स्वतंत्र तृतीय पक्षकार द्वारा विधिवत् आकलित डीकमिशनिंग लागत आकलन डीजीएच को प्रस्तुत किया जाएगा। संशोधित आकलन एसआरएफ राशि अथवा बैंक गारंटी का आधार बनेगा।

6.8 एसआरएफ खाते से निधियों का आहरण, वर्ष 1999 की एसआरएफएस के पैरा 8 द्वारा अभिशासित होगा। पैरा 8 के अनुसार और आगे दिशा-निर्देशन के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त चरणों का अनुपालन करने की जरूरत की सिफारिश की जाती है:

क. संविदाकार अंतिम कार्य अनुसूची और वित्तीय वर्ष आधारित संगत आकलित भुगतान सहित, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (डब्ल्यूपी एंड बी) प्रबंधन समिति को प्रस्तावित करेगा।

ख. इस प्रकार के अनुमोदित कार्य कार्यक्रम और बजट (डब्ल्यूपी एंड बी) के आधार पर संविदाकार को व्यय के मद में एसआरएफ खाते से चार अथवा अधिक चरणों में निधियां आहरित करने की अनुमति दी जाएगी। संविदाकार प्रत्येक चरणों के दौरान अथवा उनकी समाप्ति पर निधियों का उपयोग दर्शाते हुए, प्रबंधन समिति को स्वीकार्य, तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापित चरण-वार उपयोग प्रमाण पत्र, डीजीएच को प्रस्तुत करेगा। बाद के चरण के लिए अग्रिम जारी करने के लिए, संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान चरण के दौरान आहरित राशि के 75 प्रतिशत के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और पिछले चरणों की 100 प्रतिशत निधियां आहरित कर ली गई हैं। वैकल्पिक रूप से, संविदाकार को समतुल्य राशि के लिए बैंक गारंटी जमा कर प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार स्थल पुनर्स्थापन और परित्याग के लिए आवश्यक निधि का 100 प्रतिशत तक अग्रिम में आहरित करने का विकल्प होगा।

ग. वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 60 दिनों के अंदर, संविदाकार को पिछले वर्ष का अंतिम व्यय और उपयोगिता विवरण प्रस्तुत करना होगा।

घ. बैंक गारंटी राशि के मामले में, अनुमोदित परित्याग योजना के अनुसार स्थल पुनर्स्थापन शेष कार्य के मूल्य के अनुसार वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक आधार पर बैंक गारंटी राशि (अनुपातिक आधार पर) से समायोजित/घटाई जा सकती है।

ड. संविदाकार अनुमोदित परित्याग योजना के अनुसार स्थल पुनर्स्थापन गतिविधियां शुरू करेगा और समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

च. एसआरएफ खाते में योगदान की राशि का उपयोग सभी पक्षकारों द्वारा केवल क्षेत्र परित्याग एवं स्थल पुनर्स्थापन के लिए किया जाएगा। स्थल पुनर्स्थापन और परित्याग के पश्चात् एसआरएफ की शेष राशि का पीएससी और एसआरएफ योजना, 1999 के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

**"स्पष्टीकरण—**जहां स्थल बहाली या परित्याग संबंधी गतिविधियां उत्पादन हिस्सेदारी संविदा, राजस्व हिस्सेदारी संविदा अथवा सीबीएम संविदा की समाप्ति के बाद की जाएंगी या इनकी समाप्ति के बाद की जा रही हैं, इन दिशानिर्देशों में शब्द "प्रबंधन समिति" जहां कहीं भी आए, तो इसका आशय, प्रबंधन, सुसाध्यता या प्रचालन कार्य के उचित संचालन के उद्देश्य से संबंधित संविदा के तहत

निर्दिष्ट और सिद्ध, जैसा भी मामला हो, प्रबंधन समिति या संचालन समिति होगा और ऐसी समिति इन दिशानिर्देशों के तहत स्थल बहाली संबंधी कार्यकलाप करने के सीमित प्रयोजनों के लिए बनी रहेगी और प्रचालन जारी रखेगी।”

अमर नाथ, अपर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2021

#### **Amendment of Guidelines on Site Restoration and Abandonment Offshore and Onshore Oil and Gas Production Sites**

**No. Expl-15019(25)/68/2017-ONG-V(E-4353).**—The Government of India hereby makes the following amendments to its Notification in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. O-32011/75/2013-ONG-I dated the 1<sup>st</sup> May, 2018 relating to Guidelines on Site Restoration and Abandonment of Offshore and Onshore Oil and Gas Production Sites, namely:—

1. In the said Notification, Paragraph 6 relating to Site Restoration Fund, is substituted as under—

“6. The Site Restoration Fund (“SRF”), where applicable, is governed by the relevant provisions of the respective Production Sharing Contracts (PSCs) and the Site Restoration Fund Scheme (SRFS) of 1999. Regarding Site Restoration Fund, following guidelines are made:

6.1 Contractor will open SRF account immediately after first commercial oil/gas production.

6.2 In the case of new fields, Contractor can alternatively submit Bank Guarantee (BG) for the initial period upto 3 years after first commercial oil/gas production. The Contractor shall create SRF account for the subsequent years of PSC period.

6.3 In the case of existing fields with commercial production, where SRF is not yet established, the Contractor can alternatively submit Bank Guarantee within 6 months after policy guidelines notification for a period upto 3 years. The Contractor shall create SRF account for the subsequent years of PSC.

6.4 In case of new fields as well as the existing fields with commercial production, in the 4<sup>th</sup> year, the contractor or operator may alternatively submit bank guarantee for a value up to 75% of the cumulative amount required to be deposited in the SRF account and deposit the remaining balance amount in the SRF account. In the 5<sup>th</sup> year, the contractor or operator may alternatively submit bank guarantee for a value up to 50% of the cumulative amount required to be deposited in the SRF account and deposit the remaining balance amount in the SRF account. Thereafter, the contractor or operator shall continue to deposit and maintain funds in such a manner that not more than 50% of the cumulative amount required to be deposited in the relevant year in the SRF Account is maintained in the form of bank guarantee.

6.5 The Amount of SRF or BG will be in accordance with decommissioning estimates as proposed by the Contractor and approved by Management Committee.

6.6 The funding in SRF account or BG amount will be calculated using Unit of Production method i.e. Reserve of the field to Production ratio.

6.7 Due to the varying operating lives of individual assets and changes in resource costs, decommissioning and site restoration costs may be evaluated and updated every 3 years. The decommissioning cost estimate, duly assessed by a qualified independent third party, will be submitted by the Contractor to the DGH. The revised estimates will become the basis for amount in SRF or BG.

6.8 The withdrawal of funds from SRF account is governed by para 8 of the SRFS of 1999. To provide further guidance in accordance with para 8, it is recommended that the following additional steps need to be followed:

- a. The Contractor shall propose estimates of the site restoration activities in the Annual Work Programme & Budget (WP&B) to the Management Committee including provisional work schedule and corresponding estimated payment on a Financial Year Basis.

- b. Based on such approved Work Programme and Budget (WP&B), the Contractors would be allowed to withdraw funds in four or more phases from SRF account towards expenditure. The Contractors shall submit to the DGH, a phase-wise utilization Certificate validated by independent third party who is acceptable to Management Committee, showing utilization of funds during or at the end of each phase. For release of advance for subsequent phase, Contractor to ensure that utilization Certificate is submitted for 75% of the funds drawn for the current phase and 100% of the funds drawn for all previous phases. As an alternative, the contractor shall have an option of withdrawing an advance of up to 100% of the fund required for Site restoration and abandonment as per the plan approved by the Management Committee by submitting Bank Guarantee of an equivalent amount.
- c. Within 60 days after end of a financial year, the Contractors should submit final expenditure and utilization statement for previous year.
- d. In case of BG amount, the BG amount can be adjusted/ reduced (on pro-rata basis) by the Contractor on an annual basis at the end of the financial year in accordance with the value of balance site restoration work to be completed as per the approved Abandonment Plan.
- e. The Contractor would undertake site abandonment activities as per the approved Abandonment Plan and submit the completion certificate.
- f. The contributions to the SRF account should be used only for the purpose of Field Abandonment & Site Restoration by all parties. The balance amount in SRF after Site restoration and abandonment shall be dealt with in accordance with provisions of PSC and SRF Scheme, 1999.

**“Explanation.**—Where site restoration or abandonment activities are to be carried out or are being carried out after expiry of the Production Sharing Contract, Revenue Sharing Contract or CBM Contract, the term “Management Committee”, wherever it occurs in these Guidelines, shall mean the Management Committee or Steering Committee, as the case may be, designated and established under the relevant contract for the purposes of management, facilitation or proper conduct of the operations and such Committee shall continue to subsist and operate for the limited purposes of carrying out site restoration activities under these Guidelines.”

AMAR NATH, Addl. Secy.